

प्रेषक,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा नं.
सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सनुवाय केन्द्र प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक:सी० / / एन०ओ०सी० / 2015-16 दिनांक 23/6/15

विषय:-गार्डेनिया पब्लिक स्कूल, 91/1 राधापुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर को सी०ओ०एच०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।


नहोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक,30-06-2015 में लिए गये निर्णयानुसार गार्डेनिया पब्लिक स्कूल, 91/1 राधापुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर को सी०ओ०एच०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समर्थ-समर्थ पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वायलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परीक्षा की सम्बद्धता प्राप्त होने की दिग्धि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्थत समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणालय कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असारकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुन्य सेवानिधृत का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समर्थ-समर्थ पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे सस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

Jai Sub-Division
Principal
Gardenia Public School
Kalyanpur Kanpur




Principal
Gardenia Public School
Kalyanpur Kanpur



9- उक्त अर्था में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/असंशोधन नहीं किया जाएगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन कराना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और उक्त प्रतिबंधों को सांसाइटी के कार्यालय में स्थापित कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की झूठ या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

नमस्तीय

(मोहम्मद इफ्तेखारुद्दीन)

आयुक्त

कानपुर मन्डल, कानपुर

राजदिगाँव

पुं०सं०सी० / 1853-60

/2015-16


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव (आध्यत्मिक शिक्षा) उ०प्र० शारंग शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
- 3- शिक्षा निदेशक(ना०) उ०प्र० शिक्षा कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
- 5- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- प्रबन्धक/सचिव, गार्डनिया पब्लिक स्कूल, 91/1 राधापुरन, कल्यानपुर, कानपुर नगर।
- 7- गार्ड फाइल।

(राजेंद्र प्रसाद)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
कानपुर मन्डल, कानपुर




Principal
Gardenia Public School
Kalyanpur Kanpur